

कोर्ट  
उपखण्ड श्री कल्याण  
श्री पेशा शीर ल  
कोर्ट  
21/10/24

श्री न्यायालय उपखण्ड  
श्री मांगी लाल पिता नारायण  
तहश इंगला जिला चित्तौड़

1. श्री उदय लाल पिता
2. श्री भूमिधारी जसिये

प्रार्थना पत्र

होदय जी,

प्रार्थी की

1. यह कि उक्त उ...
2. यह कि प्रार्थी...
3. यह कि...

30/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
निपटरी की वामील गयी है। एपीएम हेतु नोटिस  
पेश कीने पर जारी हो पत्रावली के वामील  
क्रिमिनल एवं जवाब में क्रिमिनल 21/10/24 को पेश हो।

30/8/24

8/10/24

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं  
गवाह श्री.....  
उपस्थित.....  
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि.....  
को पेश हो।

25/10/24

पत्रावली पेश हुई वामील वादी एवं इनके अधिवक्ता  
ने उपस्थित होकर वाद स्पष्टकरण को विज्ञापित  
किया है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 धारा 214 के प्रकण संख्या 21/10/24  
प्रभावहीन हो जाता है। वकील द्वारा वाद प्रकण  
को विज्ञापित करने से प्रार्थना पत्र में कार्यवाही  
को इसी क्रम पर समाप्त की जाती है।  
पत्रावली फेसल शुमार ब्रेक नम्बर से  
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
इंगला

मांगी लाल  
तहश  
Tany

